

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

स्वीकृत्यादेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2011 के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय सांसद श्री प्रभुनाथ सिंह लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज से प्राप्त अनुशांसा के आलोक में कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल 1 छपरा के पत्रांक 1635 दिनांक 19/12/2013 के द्वारा निम्नांकित 16 योजनाओं के उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनो में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि (स्तम्भ 4) के आधार पर स्तम्भ 5 में अंकित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्ति राशि भुन्य	माननीय सदस्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	बनियापुर	मछगरा ट्रॉन्सफरमर के पास से स्कूल होते हुए बौध तक सोलिंग कार्य।	249600	249600	शुन्य	श्री प्रभुनाथ सिंह
2	„	शेखपुरा नदी के पास सामुदायिक भवन का निर्माण।	438800	438800	शुन्य	„
3	„	पिरौटा मेघा नहर में पैदल पथ का निर्माण।	384000	384000	शुन्य	„
कुल योग :-			1072400	1072400		

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (दस लाख बहतर हजार चार सौ रूपये मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्यपालक अभियंता LAEO - 1- छपरा पूर्वी द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2011 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यन्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यन्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओं का कार्यन्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 3757 दिनांक 02/09/2013 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यन्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।


9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

80

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा

ज्ञापांक.....174/यो0 दिनांक.....15.2.14

- प्रतिलिपि :-** कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका एवं प्राप्त अन्य निदेश के आलोक में स्थानीय प्रचार प्रसार /निविदा /ई - निविदा के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय ।
- प्रतिलिपि :-** नाजीर जिला योजना कार्यालय छपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** कोषागार पदाधिकारी सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का भूमि प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- प्रतिलिपि :-** जिला पदाधिकारी सारण छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सांसद सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा